न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–न्यायालय सं0 7, रामपुर

सत्र परीक्षण सं0 51/2019

राज्य––––– बनाम––––– नेहा गुप्ता आदि

21–06–2023

पत्रावली प्रार्थना पत्र 31 ख पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुयी। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 31 ख

आवेदिका नेहा गुप्ता की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसने उक्त प्रकरण में एक नये अधिवक्ता को नियुक्त किया है। आवेदिका ने अपने अधिवक्ता के साथ दिनांक 17–04–2023 को पत्रावली का निरीक्षण किया और पाया कि कागज सं0 5 विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा आवेदिका के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने की कार्यवाही है, जिस पर तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर नहीं किया गया है। आरोप विरचित करने की प्रक्रिया कागज सं0 5 क, जिस पर पीठासीन अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर नहीं है, स्पष्ट रूप से यह बताता है कि आज तक आवेदिका के विरुद्ध कोई आरोप तय नहीं किया गया है और अब तक की गयी पूरी कार्यवाही दूषित है। उपरोक्त तथ्य, अभियोजन पक्ष की जानकारी में होने के बावजूद भी छिपाये गये और अभियोजन पक्ष ने अविधिक कार्यवाही आवेदिका के विरुद्ध प्रारम्भ की और तीन साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष अविधिक रूप से परीक्षित भी कराया जा चुका है। अतः प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त तथ्यों को विचार में लेते हुये कागज सं 0 5 का अवलोकन किया जाये और उस पर अपना अभिमत व्यक्त किया जाये और न्याय के अन्त को पूरा करने के लिये विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही शुरू की जाये।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की प्रतियाँ विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के निजी अधिवक्ता को प्रदान की गयी, परन्तु अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है , केवल मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 08–03–20219 को अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया है, जिस पर मुख्य पृष्ठ पर विद्वान सत्र न्यायाधीश के हस्ताक्षर हैं, परन्तु पेज–2 पर इस सम्बन्ध में हस्ताक्षर नहीं हैं – Charge read over and explained to the accused in simple Hindi, who pleaded not guilty and claimed for trial. उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता को उक्त सन्दर्भ में सभी पहलुओं को समझाते हुये हस्ताक्षर अंकित कराये गये हैं। आदेश पत्रक के हांसिये पर भी अभियुक्ता के हस्ताक्षर पृष्ठांकित हैं। मात्र इसी आधार पर सम्पूर्ण आरोप, जिसमें घटना का संक्षिप्त विवरण करते हुये अभियुक्ता को आरोपित किया गया है, दूषित या प्रभावित नहीं होता है। आरोप विरचित करने के पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से तीन साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। उक्त आरोप विरचित करने के पश्चात आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से उक्त बिन्दु को न्यायालय के समक्ष इंगित नहीं किया गया। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी लम्बित रहा है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दाण्डिक निगरानी सं0 978/2023 में आदेश दिनांकित 17–03–2023 पारित किया गया है। उक्त निगरानी में भी बचाव पक्ष की ओर से उक्त बिन्दु को आधार नहीं बनाया गया है।

विधि व्यवस्था अन्तर्गत S. 215 and S. 464 Cr.P.C. provided that the proceedings of a criminal trial do not get vitiated because of some error, omission or irregularity in the charge unless (i) the omission is vital (ii) substance of accusation is totally different from what was sought to be established by the prosecution (iii) accused